



2026:AHC:25776

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी सं. - 4564 सन् 2026

चंद्रभान

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

अपर आयुक्त गोरखपुर मंडल और 19 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण) : अरुण कुमार वर्मा, कृष्ण मोहन सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण) : सी.एस.सी., सुधीर भारती

न्यायालय सं. - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. आज पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को ध्यान में रखते हुए, निजी प्रतिवादीगण को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
3. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 1, अर्थात् अतिरिक्त आयुक्त गोरखपुर मंडल, गोरखपुर को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24(4) के तहत 03.11.2025 को दायर अपील संख्या C202505000002799 (चंद्रभान बनाम राज किशोर और अन्य) पर निर्णय लेने का निर्देश देने के लिए की गई एकमात्र प्रार्थना याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष संयुक्त रूप से दायर की गई स्थगन आवेदन दिनांक 13.11.2025 को निर्धारित अवधि के भीतर याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष दायर की गई थी।
4. उपस्थित पक्षों के अधिवक्ता को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
5. पक्षों के अधिवक्ता की सहमति से, वर्तमान रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1, अर्थात् अतिरिक्त आयुक्त गोरखपुर मंडल, गोरखपुर को याचिकाकर्ता द्वारा दायर उपरोक्त मामले को सख्ती से कानून के अनुसार, बिना किसी अनावश्यक स्थगन के निर्णय लेने का, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो, निर्देश दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

फरवरी 5, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"